रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 1987/वैशाख 11, 1909
No. 222] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 1987/VAISAKHA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली 1 मई, 1987

अधिसूचना

सं. 132/87-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 447.—(अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के

सीमाशुल्क सा. का. नि. 374 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 1987 के सब पैरों में क्रम सं. "16" और "(17)" के स्थान पर क्रमशः "17" और "(18)" पढ़ें।

[फा. सं. 343/29/78—टी.आर.यू.]

टी. जयरामन, अवर सचिव)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th April, 1987

CORRIGENDUM

G.S.R. 417 (E) :—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 165/87-Customs, G.S.R. 374 (E), dated the 8th April, 1987 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 8th April, 1987, in the sub-paras for the Serial Nos. "16" and "(17)" read "17" and "(18)" respectively.

[F. No 343/29/78-TRU]

T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987